कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, झाबुआ

Tel. (o) 07392-243316 (Fax) 07392-243316 E-mail : dfotjhab@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2098 / 942 झाबुआ, दिनांक 25-2-2019

प्रति,

रिलायंस जियो इन्फोकोम लिमिटेड
3 फ्लोर, ब्लाक नम्बर 1 डी.बी. सीटी,
एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) – 462002

विषय :– झाबुआ जिले में Relaince Jio Infocomm 4G Project Ranapur Datigaon Route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.175 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/OFC/35532/2018)

संदर्भ :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र / 4073 दिनांक 21.12.2018
2. मुख्य वन संरक्षक इंदौर का पत्र क्रमाक / 1011 दिनांक 18.02.2019 ।
3. आपका पत्र दिनांक 03.12.2018 ।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा प्रस्तावित झाबुआ जिले में Relaince Jio Infocomm 4G Project Ranapur Datigaon Route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.175 हेक्टेयर वन भूमि के राईट ऑफ वे के तहत् प्रस्तुत प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के संदर्भित पत्र से दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक इंदौर के संदर्भित पत्र से किया गया है। अतः मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18 नवम्बर 2004 एवं पत्र क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 14 दिसम्बर 2005 से प्राप्त निर्देशानुसार पत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार आप्टीकल फाईबर केबल लाईन डालने की सैद्धान्तिक स्वीकृति वृक्षो को कोई क्षति पहुचाये बिना दी जाती है :–

1. वन मण्डल अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य नहीं होने से आवश्यक नही है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के तहत दी जाती है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
3. प्रस्तुत प्रस्ताव 0.175 हेक्टर के है तथा किसी भी वृक्ष को काटना प्रस्तावित नही होने से स्वीकृति दी जाती है।
4. प्रस्ताव एक हेक्टर से कम का है और वृक्ष कटाई सम्मिलित नही है यदि किसी वृक्ष को काटा जाता है तो काटे जाने वाले वृक्षो के 10 गुना वृक्षो के वैकल्पिक वृक्षारोपण की शर्त अधिरोपित की जाती है।
5. वन भूमि रोड के किनारे–किनारे भूमिगत आप्टीकल फाईबर केबल लाईन के लिये खोदी जाने वाली खन्ती का आकार प्रस्ताव अनुसार 2 मीटर गहरा एवं 0.50 मीटर चौडा से अधिक नही होगा।
6. आवेदक संस्थान द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के निर्देशानुसार एम.ओ.ई.एफ. साईट पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आवेदन की हार्ड कापी इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।
7. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ–5–14 / 2005 / 10–3 दिनांक 30 जुलाई 2012 से जारी निर्देशानुसार प्रकरण में पंजीयन शुल्क 5000 / – एवं प्रोसेसिग शुल्क 25000 / – कुल राशि 30000 / – मध्यप्रदेश कोषालय की वेबसाईट पर जाकर राजस्व मद 0406–01–800 –0229 विविध जमा में भुगतान किया जाकर राशि जमा होने बावद् प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।
8. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
9. प्रकरण मे वर्तमान में वैकल्पिक वृक्षारोपण नही किया जाना है। यदि वृक्षो को काटा जाता है तो तदनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार होने वाली व्यय की राशि Relaince Jio Infocom को जमा करना होगी।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोडकर अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जाऐगा।
11. रख रखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी जावेगी।
12. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।
13. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी / पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र मे उत्खनन नही किया जाएगा।
14. मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञापन पत्र क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 14 दिसम्बर 2005 से शर्त क्रमांक 14 विलोपित की गई है।
15. खन्ती खोदते समय वृक्षो को हानि नही पहुचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षो की जडो को नही काटा जाएगा।

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 से अण्डर ग्राउण्ड आप्टिकल फाईबर केबल लाईन डालने के प्रकरणो में नेट प्रजेन्ट वेल्यु की राशि की पूर्ण छूट प्रदान की गई है। प्रकरण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहा है। अतः आवेदक संस्थान से नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि वसूल नही की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक /4073 दिनांक 21.12.2018 से प्राप्त निर्देशानुसार आपको ऑनलाईन राशि रूपये 100/– का केम्पा खाते के अदर्स मद में जमा किया जाना है।

17. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/ आवेदक संस्थान से देय होगी।
18. आवेदक संस्थान द्वारा लिखित मे वचन पत्र प्रस्तुत किया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्त उन्हे मान्य होगी।
19. मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 के पालन में आवेदक संलग्न से नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि वसूल नही की गई है। औपचारिक अनुमति के जारी होने के पूर्व कार्य नहीं किया जावें।
20. भूमिगत आप्टीकल फाईबर केबल लाईन प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बडे झाड का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक–202/95 मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक/16/10 /सात/2–ए/90 दिनांक 13.1.1997 में परिभाषित है के संबंध में आपके द्वारा ऐसे वनो की जानकारी निरंक दर्शायी है। यह स्वीकृति केवल वन भूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के आधिपत्य में है।
21. आवेदक संस्थान द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के निर्देशानुसार एम.ओ.ई.एफ. साईट पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आवेदन की हार्ड कापी मय मानचित्र के इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्तानुसार शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी की जावेगी। प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी किये जाने के उपरांत ही वनभूमि पर कार्य प्रारम्भ किया जावे।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, झाबुआ

क्रमांक/मा.चि./2019/ 943 झाबुआ, दिनांक 25-2-2019

प्रतिलिपि :–

1. वन परिक्षेत्राधिकारी झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। पत्र में उल्लेखित शर्तो का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी की जावेगी। जब तक इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी नही की जाती है। आवेदक संस्थान को वनभूमि पर कोई भी कार्य नही करने दिया जावे।
2. उप वन मण्डलाधिकारी झाबुआ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, झाबुआ

क्रमांक/मा.चि./2019/ 944 झाबुआ, दिनांक 25-2-2019

प्रतिलिपि :–

3. कलेक्टर झाबुआ जिला झाबुआ की ओर मय प्रस्ताव व मानचित्र के प्रेषित कर निवेदन है कि, शासन की शर्त क्रमांक 20 अनुसार यह स्वीकृति केवल वन भूमि के लिये जारी की गई है जो कि वन विभाग के आधिपत्य में है। यदि आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र (छोटे बडे झाड का जंगल) में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाए, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की जा सके।
4. वन संरक्षक इंदौर वृत्त इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, झाबुआ

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
5-3-19

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)
आवक क्रमांक........5144
मध्यप्रदेश, भोपाल
06-03-19